दिनाक 24.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–24/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 26 लाख रूपये कीमत के 49 लैपटाप,**
- **29 जीन्स पैंट, 23 बेड शीट,**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 23.02..2021 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलाश टी प्वाइंट कट के पास से 05 अभियुक्तो 1–भानु प्रताप 2–विक्की 3–रूदेस कुमार 4–सोहित 5–श्यामबीर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 26 लाख रूपये कीमत के 49 लैपटाप, 29 कपड़े जीन्स पैंट, 23 बेड शीट, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक:22/23.02.2021 की रात्रि में थाना खुर्जानगर क्षेत्र में अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा पर मु0अ0सं0–157/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद लैपटाप, कपड़े, बेडशीट उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—भानु प्रताप निवासी भैसरोली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

2—विक्की निवासी गड्डा कॉलोनी नहर पर फरीदाबाद, हरियाणा।

3—रूदेस कुमार निवासी नंगला फरीदपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

4—सोहित निवासी सेक्टर 8 पटेलनगर दुर्गामंदिर के पास बल्ल्भगढ़, हरियाणा।

5—श्यामबीर निवासी ग्राम मभाना थाना मदनपुर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगीः—

1—चोरी के लगभग 26 लाख रूपये कीमत के 49 लैपटाप, 29 जीन्स पैंट, 23 बेड शीट।

2—01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन आदि।

जनपद शामली/थाना कोतवाली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.02.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बलवा गेट दिल्ली रोड के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1— करण 2—मोहित 3—वर्षित 4—सौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके विरूद्ध जनपद शामली, सहारनपुर, हरियाणा, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— करण निवासी लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली।

2—मोहित निवासी लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली।

3—वर्षित निवासी सरनावली थाना फुगाना जनपद मु0नगर।

4—सौरव निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मु0नगर।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला कुरेशियान कस्बा गंगोह तीतरो रोड के बन्द पड़े मकान से 03 अभियुक्तों 1—शिवकुमार 2—कुलदीप 3—सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। गिरफ्तार अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि 05 अभियोग, अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग व अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व जनपद शामली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शिवकुमार निवासी लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2—कुलदीप निवासी गॉधीनगर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

3—सौरभ निवासी ग्राम कम्हेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—06 मोटर साइकिल,

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

<u>जनपद सम्भल/थाना धनारी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 ट्रैक्टर बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना धनारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डहरिया तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तो 1—राकेश, 2—कप्तान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 03 ट्रैक्टर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना धनारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राकेश निवासी रूखड़ा थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

2—कप्तान निवासी घोसली अनिरूद्ध थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 03 ट्रैक्टर

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 02 लाख 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद आगरा द्वारा थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201/364/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त हरीश उर्फ ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास व 35—35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्याः 03 सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34/201 भादवि में अभियुक्त 1—वाजिद उर्फ बल्ला 2—शाहबाज 3—छोटू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 35—35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/307/323/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त हसीब गद्दी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद सीतापुर/थाना रामपुरकलॉ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 06 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामपुरकलॉ पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि में अभियुक्त शिवराज को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 06 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफः 04 अदद पिस्टल .32 बोर व 08 अदद मैगजीन .32 बोर के साथ अवैध भास्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्प्रान्तीय गैंग का सदस्य गिरफ्तार

आज दिनॉकः 24.02.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश की फील्ड इकाई, प्रयागराज को **अन्तर्प्रान्तीय असलहा तस्कर गैंग** के **01 सदस्य** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **04 अदद पिस्टल .32 बोर** व **08 अदद मैगजीन .32 बोर** बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

गुड्डू कुमार पुत्र श्रीलाल मण्डल, निवासी सीताकुण्ड, डीह, थाना मोफस्सिल, जनपद मुंगेर, बिहार।

बरामदगीः–

1– 04 अदद पिस्टल .32 बोर, स्टार मार्क Made in USA अंकित।

2– 08 अदद मैगजीन .32 बोर।

3– 01 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति।

4– 01 अदद फर्जी ड्राईविंग लाइसेन्स।

5– 01 अदद पैन कार्ड।

6– 01 अदद मोबाइल।

7– नकद 360/– रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

सिविल लाइन्स बस अड्डा, मजार रोड पर, दिनांक–24.02.2021, समय 14.00 बजे।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में असलहा तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध एस0टी0एफ0 की सभी इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाक–24.02.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री के0सी0राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, मु0आरक्षी दिलीप कुमार त्रिपाठी, आरक्षी पंकज तिवारी, हबीब सिद्दीकी, सोनू, पुनीत कुमार पाण्डेय की टीम प्रयागराज नगर क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गैंग के कुछ लोग सिविल लाइन्स बस अड्डा पर आने वाले हैं। इस सूचना को

विकसित करने के बाद एस0टी0एफ0 टीम द्वारा सहयोगार्थ थाना सिविल लाइन्स पुलिस को साथ लेकर दोनों टीम सिविल लाइन्स बस अड्डा पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए इन्तजार करने लगीं। कुछ समय पश्चात बताये गये हुलिये के अनुसार मुख्य सड़क की ओर से पिट्ठू बैग लिए एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे टीम द्वारा रोका गया, तो वह भागने का प्रयास करने लगा। इस पर संयुक्त टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर समय 14.00 बजे सिविल लाइन्स बस अड्डा के बगल मजार रोड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुयी।

अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ पर उसने बताया कि वह सीताकुण्ड डीह, थाना मोफस्सिल, जनपद मुंगेर, बिहार का रहने वाला है। उसके गॉव का ही प्रेम कुमार सिंह, अवैध असलहों की सप्लाई का काम पूर्वी उत्तर प्रदेश में करता है तथा उसे '

डिलीवरी मैन' के रूप में इस्तेमाल करता है। अवैध असलहों की डिलीवरी करने के एवज में उसे प्रति पिस्टल 1000/–रू0 तथा किराया–भाड़ा मिलता है। प्रेम कुमार सिंह द्वारा इन अवैध पिस्टलों को 10–12 हजार रूपये प्रति पिस्टल के हिसाब से क्रय करके 20–25 हजार रूपये में बेचा जाता है। आगे पूछताछ पर उसने बताया कि अवैध असलहों की डिलीवरी का काम वह पिछले 4–5 वर्षों से कर रहा है तथा अब तक 100–150 अवैध असलहों की सप्लाई आस–पास के जनपदों में उसके द्वारा की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दो दिन पहले ही बिहार एस0टी0एफ0 द्वारा छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध असलहों की रिकवरी कर लेने के कारण इस बार केवल 04 पिस्टल ही ला पाया। इन अवैध पिस्टलों को वीरू पाण्डेय, संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को देने हेतु लाया गया था।

उल्लेखीय है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त व गिरोह का सरगना प्रेम कुमार सिंह को एस0टी0एफ0 प्रयागराज द्वारा पूर्व में दिनांक–08.03.2017 को 11 अदद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज में धारा–419 /420/467/468 भादवि और धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू कुमार पुत्र श्रीलाल मण्डल, निवासी सीताकुण्ड, डीह, थाना मोफस्सिल, जनपद मुंगेर, बिहार का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	196/2017	3/25/27 आर्म्स एक्ट	कैण्ट	प्रयागराज
2.	–/2021	419/420/467/468 भादवि	सिविल लाइन्स	प्रयागराज
3.	–/2021	3/25/ आर्म्स एक्ट	सिविल लाइन्स	प्रयागराज

––––––